Vetted
10/07

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.15(10) कृषि/ग्रुप-2/90 जयपुर, दिनांक 12.7.2004

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या प.15(10)कृषि–2बी/90 एस.ओ. 131, दिनांक 27.9.91 में निम्न संशोधन करती है

संशोधन

उक्त अधिसूचना में:-

(i) विद्यमान परन्तुक से पूर्व निम्न नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जावेगा :–
"परन्तु यह कि कृषि उपज जीरा एवं इसबगोल पर मण्डी समितियों द्वारा उद्ग्रहणीय मंडी शुल्क की दर, इसके द्वारा प्रति एक सौ रूपये पर 0.50 रूपये (पचास पैसे) मात्र विनिर्दिष्ट करती है;

(ii) विद्यमान परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" को अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(के.सी. वर्मा)
उप शासन सचिव

vetted
(... Gupta)
...ector & Ex-Officio
Deputy Secretary
Agriculture Marketing